न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–390/12 (आरसीएमसी नं. 2011/00060)

1. मजीद,
2. अब्दुल रहमान पुत्र निसुल्लड, जाति मेव निवासी चौडावता, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. आत्मासिंह पुत्र भोजासिंह, जाति सिकलीगर निवासी ग्राम बाघोडा, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर हाल आबाद सरदार कॉलोनी ऐरोड्रम रोड़ मार्फत मनिन्द्रसिंह फेब्रीकेटर अलवर जिला अलवर, राजस्थान।
2. ज्ञानीसिंह पुत्र भोजासिंह, जाति सिकलीगर निवासी ग्राम बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल आबाद डी–6/182 सुलतानपुरी देहली।
3. इन्द्ररसिह पुत्र श्री भोजासिंह जाति सिकलीगर निवासी ग्राम बाघोडा, तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल आबाद ऐरोड्रम रोड, निकट गुरूद्वारा सरेणसिंह व साईकिल की दुकान के पास, अलवर राजस्थान।
4. ग्राम पंचायत बाघोडा, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर राजस्थान जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बाघोडा।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 31.01.18

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के आदेश दिनांक 19.12.08 (प्रकरण संख्या 11/06) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है भोजासिंह पुत्र फूलासिह जाति सिकलीगर निवासी बाघोडा, तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान का निवासी था जिसके कब्जे काश्त की गैरखातेदारी की आराजी कुल किता 9 कुल रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम बाघोडा, तहसील किशनगढबास जिला अलवर में थी जिसके गैर खातेदार काश्तकार भोजासिंह का स्वर्गवास होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 05.01.1983 को उसके एक मात्र जायज वारिस काबिज जायदाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आत्मासिंह पुत्र भोजासिंह के हक में ग्राम पंचायत बाघोडा द्वारा बाद जांच वारिसान तस्दीक किया गया और राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आत्मासिंह के नाम गैर खातेदारी का अंकन कर दिया गया जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है। उन्होने आगे कथन किया है कि नामान्तरकरण गैर खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आत्मासिंह एकमात्र जायज वारिस काबिज जायदाद के हक में तस्दीक होने के उपरान्त आत्मासिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भोजासिंह की विरासत से प्राप्त गैर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खातेदारी की आराजी का कीमतकर्जा जमा कराकर सनद पट्टा संख्या 1933 दिनांक 24.08.73 को प्राप्त किया जिस सनद पट्टा के आधार पर नामान्तरकरण खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 187 दिनांक 05.01.1983 को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आत्मासिंह के हक में तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में कुल किता 9 कुल रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा का नामान्तरकरण खातेदारी के बाद खातेदारी का अंकन कर दिया गया जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1011 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1012 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1020 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1065 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बाघोडा, तहसील किशनगढबास जिला अलवर का बैचान अभिलिखित खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आत्मासिंह ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 31.01.74 को हम अपीलान्ट को कर दिया और प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके पर वास्तविक कब्जा करा दिया और बैयनामा बाजाप्ता हम अपीलान्ट के हक में तहरीर तकमील कराकर उप पंजीयक किशनगढबास जिला अलवर के समक्ष तस्दीक करा दिया जिस बैयनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 05.01.83 को हम अपीलान्ट्स के हक मे तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल अपीलान्ट के नाम का अंकन बहैसियत खातेदार होता चला आ रहा है हम अपीलान्ट्स उक्त आराजी के बोनाफाईड परचेजर विदपास्ड वैल्यूवल कन्सीड्रेशन विदाउट नोटिस है और बरोज खरीद से आज दिन तक उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है जो आराजी से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 गैर काबिज एवं गैरवास्ता है जिनका कोई अधिपत्य व अधिकार वर्तमान में मौके पर किसी भी हैसियत से नही है, हम अपीलान्ट के हक में हुए बैयनामा एवं नामान्तरकरण को आज दिनाक तक किसी भी सक्षम न्यायालय या अधिकारी द्वारा निरस्त नही किया गया है, जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आत्मासिंह द्वारा बेचान करने के बाद जमीनों के भाव बढ़ जाने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने तथाकथित भाईयों रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 से साजबाज होकर अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय में विरासत के नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 05.01.83 ग्राम बाघोडा के खिलाफ समस्त तथ्यों की भंलीभांति जानकारी होने के उपरान्त भी अपील पेश करादी और रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने बतौर बदनियतिपूर्वक अपीलान्ट को अपीलीय न्यायालय के समक्ष पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने हम अपीलान्ट को उक्त विवादित आराजी से वंचित करने एवं गलत हथकण्डे अपनाकर आराजी को हड़प करने की नियत से अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय से साजबाज होकर कॉल्यूसिव निर्णय जैर बहस अपील पारित कराया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भी पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का कोई गहनता से

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अवलोकन नही किया गया और ना ही मौके पर उक्त आराजी पर कब्जे के बारे में कोई रिपोर्ट तलब की गई और मनमाने तौर पर खिलाफ तथ्य कानूनी मौका निष्कर्ष निकालते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 05.01.83 के विरूद्ध अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय में अपील दिनांक 03.07.06 को पेश की थी जो अपील मियाद बाहर पेश की गई, अपील पेश करने मे हुई देरी का कोई युक्तियुक्त कारण साक्ष्य, सहित अपील अथवा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नही किया गया, अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी आरम्भ से ही समस्त ग्रामवासियों व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को थी ग्राम पंचायत ने बाद जांच वारिसान नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 05.01.83 को आत्मासिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में तस्दीक किया गया जिससे स्पष्ट रूप से आत्मासिंह को एकमात्र जायज वारिस काबिज जायदाद होना अंकित किया गया है। उन्होने कथन किया है कि माननीय सर्वोच्य न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि अपील का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने से पूर्व कानूनी बिन्दु पर सर्वप्रथम निर्णय पारित करना चाहिये लेकिन अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधि के इस सर्वमान्य सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का सर्वप्रथम निर्णय किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवश्यक पक्षकार थे लेकिन अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत बाघोडा द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदार भोजासिंह की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 05.01.1983 आत्मासिंह के नाम गैरखातेदारी का स्वीकार किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.01.1983 को ही आत्मासिंह के नाम गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 187 तस्दीक किया गया है तथा वादग्रस्त आराजी के विक्रय पत्र दिनांक 31.07.74 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

186 दिनांक 05.01.83 को ही अपीलान्ट के नाम ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर उपरोक्त स्पष्ट हो जाता है कि उक्त तीनों नामान्तरकरण एक ही दिन में ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये है, प्रथम तो ग्राम पंचायत द्वारा खातेदार भोजासिंह के वारिसान की बिना जॉच किये ही नामान्तरकरण संख्या 186 तस्दीक किया गया है, द्वितीय आत्मासिह को गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 187 दिनांक 05.01.83 को स्वीकार किया गया है जबकि आत्मासिंह द्वारा उक्त आराजी को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 31.07.74 से अपीलान्ट को बेचान किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आत्मासिंह के नाम दर्ज रिकार्ड होने से पूर्व ही आत्मासिंह द्वारा बैचान किया गया है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही नामान्तरकरण स्वीकार किये गये है जिन्हे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगढबास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.12.2008 के अनुसरण में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण में विस्तृत जॉच की जाकर एवं उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए मृतक खातेदार की विरासत के नामान्तरकरण की पुनः विधि सम्मत कार्यवाही करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।